27-10-20 पत्रावली पेश हुई / बकुलाय पक्षकार उपस्थित/P.O. सा राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 19-11-20 ... को पेश हों।

हस्ताक्षर रीडर

19-11-20 पत्रावली पेश हुई। नकील पक्षों उपस्थित। पक्षों द्वारा प्रार्थना किया कि 7-1-21 को पेश हो।

7-1-21 पत्रावली पेश हुई / बकुलाय पक्षकार उपस्थित/P.O. सा राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 4-2-21 ... को पेश हों।

हस्ताक्षर रीडर

4-2-21 पत्रावली पेश हुई। नकील पक्षों उपस्थित। नकील पक्षों द्वारा प्रार्थना किया कि 25-2-21 को पेश हो।

25-2-21 पत्रावली पेश हुई। नकील पक्षों द्वारा प्रार्थना प्रकरण के नकील पक्षों को साक्ष्य उपस्थित करने हेतु अवसर दिये जाने। किसी प्रकार भी साक्ष्य उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप मेरे आदेश दिनांक 19-3-20 अनुसार साक्ष्य बन्द कर पत्रावली बहस आदेश पर सुरक्षित है।

नकलात के नकील पक्षों के बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न प्रपत्रों में मेरे द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-10-20 के अनुक्रम उपरान्त भूमि पैमाइश कराकर खेसरा नं. 3697 रकबा 0.05 हेक्टेयर किस्म अराजी बंजर के रूप में शीतलवारा दर्ज होकर सुरक्षित सरकारी योजना के लिए है। इसमें भूमि प्रबंधन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही उचित नहीं प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में बाद-पक्षों स्वयंसेवी संस्था होने से याचिका निरस्त करता है। पत्रावली पैमाना में शुमार होकर नस्तीबद्ध हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा